

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या-147/2021

धारा 144 द0प्र0सं0

महादेव भुईयाँ वगै0.....प्रथम पक्ष

बनाम्

चन्दर भुईयाँ वगै0.....द्वितीय पक्ष

आदेश

दिनांक 30.09.21 अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद थाना प्रभारी, सरिया के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के महादेव भुईयाँ वगै0 बनाम द्वितीय पक्ष के चन्दर भुईयाँ वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-


मौजा- चिरुवाँ, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह, खाता नं0-46, प्लॉट नं0-698, रकवा-10 डी0 मध्ये 03 डी0, चौहद्दी: 30-तुलसी मियाँ, द0-परती पत्थर, पू0-हेमत मियाँ, प0-परती पत्थर।


उभय पक्ष उपस्थित।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चूँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।